न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 98/17
बउनवान

राधेश्याम आयु 59 साल पुत्र श्री मुलीलाल जाति–गुर्जर निवासी–मण्डोला तहसील–बारां, जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 07.02.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मण्डोला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 165/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई जवाबदेहीं का कोई अवसर नहीं देकर मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.10.2015 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गयी।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

है। कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके पूर्ण धारणा बनाकर पश्चात्वर्ती अतिकमी मानकर सजायाब किया गया है। पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड व साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। वर्तमान में विवादित आराजी खाली पड़ी हुयी है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2015 निरस्त फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रार्थना अस्वीकार, विधिवत सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी रहा है इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिचार करने पर मि0नं0 1020/14 निर्णय दिनांक 27.11.2014 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिकमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिकमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1100/15 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 6.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)